न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 329/2016

बउनवान

छीतरलाल पुत्र श्रीरामचन्द्र जाति–बैरवा आयु 47 साल निवासी ग्राम सीसवाली तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 09.10.2017

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 26.4.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सीसवाली, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 2363 रकबा 1.28 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 1536/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे बाबत कोई पुष्टि नहीं की, पडौसी खेत वालो की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं लेकर मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है व जुर्माना राशि जमा करा दी है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में जुर्माना जमा कराने उपस्थित हुआ तथा जुर्माने पर हस्ताक्षर कराये थें। अपीलांट को सजा बाबत कोई सूचना नहीं दी है। सेट प्रफोर्मा पर बिना सूचना के सिविल कारावास की सजा दी गयी हे जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः निर्णय एवं दंडादेश निरस्त फरमाया जाकर, दोषमुक्त घोंषित किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट नोटिस की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था तथा जुर्माना राशि

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जमा करायी थी। उस दिन सजायाब आदेश से अपीलांट को अवगत नहीं कराया था। निर्णय बाद में लिखा गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं है। वारंट जारी होने से जानकारी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन कराते हुये व्यक्त किया कि अपीलांट के अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.4.16 को उपस्थित होने के उपरान्त भी एकपक्षीय कार्यवाहीं की गयी है, जो निर्णय से स्पष्ट होता है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा पूर्व से हीं छोड रखा है। निर्णय हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्‌वर्ती मानकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्‌वर्ती बाबत कोई रेकार्ड नहीं है। निर्णय एकपक्षीय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.4.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 136/15 निर्णय दिनांक 12.3.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट उपस्थित हुआ है अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिया गया है। अपील में अपीलांट का यह कथन कि निर्णय आदेशिका दिनांक 26.4.16 में एकपक्षीय कार्यवाहीं लिखा गया है, अपीलांट का उक्त कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिचार करने पर पूर्व में मिसल नम्बर 136/15 निर्णय दिनांक 12.3.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान कर, अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर, उक्त आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 26.4.2016 के कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली का आदेश दिनांक 26.4.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)